[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 4/2017- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017
7 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवाकर नियम, 2017 है ।

(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **केंद्रीय माल और सेवाकर नियमों का लागू होना**--एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017, जहां तक हो सके, एकीकृत कर के संबंध में उस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे केंद्रीय कर के संबंध में लागू होते हैं ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपावर्ती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार